न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 316/2023
GCMS NO. : **2023/554**

–:: प्रार्थी ::– | **बनाम** | **–:: अप्रार्थी ::–**

1. जुगाराम पुत्र मानाराम जाति–सीरवी निवासी–हुनावास खुर्द, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर राज0।

बनाम

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–ब्यावर राज.।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.18/09/2023

उपस्थित:–

1. श्री शाकिर हुसैन, अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 17/10/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला–पाली राज0 में खसरा नंबर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है नकल चालू जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की उक्त आराजी में रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा सहवन एवं लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गलत नाम व वल्दीयत जोगाराम पुत्र भानाराम का इन्द्राज कर दिया गया जो गलत है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक तथा दस्तवेजी नाम व वल्दीयत जुगाराम पुत्र मानाराम है। जोगाराम पुत्र भानाराम व जुगाराम पुत्र मानाराम एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थी ही है। प्रार्थी के परिवार के राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, बैक डायरी व प्रार्थी के नाम की अन्य खातेदारी कृषि भूमि जो सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में खसरा नंबर 565, 566 व सरहद मौजा ग्राम हुनावास खूर्द पटवार हल्का गरनिया में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 14,17,18,57,59,60 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का सही नाम व वल्दीय जुगाराम पुत्र मानाराम इन्द्राज है उक्त सभी इत्यादि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

व वल्दीयत जुगाराम पुत्र मानाराम दर्ज है, जो दस्तावेजात प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम व वल्दीयत जोगाराम पुत्र भानाराम दर्ज होने से प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थी अपने नाम से किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है तथा न ही केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि ऋण लेने हेतु दिनांक 24.06.2023 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत नाम व वल्दीय जोगाराम पुत्र भानाराम दर्ज है तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को आवेदन पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना गलत नाम व वल्दीयत जोगाराम पुत्र भानाराम के स्थान पर संशोधन कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम व वल्दीयत जुगाराम पुत्र मानाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करने का कथन किया। इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश हैं कानून का यह स्पष्ट प्रावधान है कि कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में किसी खातेदार का नाम व वल्दीयत लिपिकीय त्रुटिवश गलत इन्द्राज हो जाता है तब जब भी ऐसे गलत इन्द्राज की जानकारी होती तब वह कानूनन ऐसे गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है प्रार्थी को अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने गलत नाम व वल्दीयत की जानकारी दिनांक 24.06.2023 को होने से यह प्रार्थनापत्र नाम व वल्दीयत दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थी की ओर से अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी की आराजीयात ग्राम जैतारण तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 में स्थित होने से उक्त आवेदनपत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो सामिल मिसल है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबंदी संवत 2077-2080, सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 676, 676/2, 682, 683, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम जोगाराम पुत्र भानाराम खातेदार के तौर पर अंकित है, वहीं सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में खसरा नंबर 565, 566I व सरहद मौजा ग्राम हुनावास खूर्द पटवार हल्का गरनिया में खसरा नंबर 14,17,18,57,59,60 प्रार्थी का नाम जोगाराम पुत्र मानाराम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ-पत्र पर कथन किया है कि उसके पिता का सही नाम मानाराम है, न कि भानाराम है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जुगाराम पुत्र मानाराम के नाम जारी पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/072360, जुगाराम पुत्र मानाराम के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 225307353285 प्रदर्श कराए है। यह सही है कि खातेदार को नाम या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

पिता के नाम संबंधी गलत अंकन के कारण वर्तमान ऑनलाइन सेवाओं के दौर में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा खातेदार को अपनी आराजी के संबंध में सही तथ्यों को इन्द्राज करवानें का अधिकार है। प्रार्थी के शपथ-पत्र, अन्य जमाबंदी में अंकन और प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला- ब्यावर के खसरा नम्बर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम **"जुगाराम पुत्र भानाराम"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर प्रार्थी/खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***" जुगाराम पुत्र मानाराम"*** दर्ज करते हुये तहसीलदार, जैतारण को इसी अनुरुप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 17/10/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)